न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 137/2018/75 एलआर एक्ट

नाजमसिंह पुत्र स्व. महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी श्रीनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़

––अपीलांट/अप्रार्थी

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी श्रीनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. गौरीशंकर उर्फ शिवशंकर पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी श्रीनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पो0/प्रार्थीगण

3. सुरजाराम पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी श्रीनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. गुरनामकौर उर्फ तारो पुत्री रणसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. सिमरजीत कौर पत्नि गुरजंटसिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एसएनएम तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. रामलाल पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. कालूराम पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. भैराराम पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पो0/अप्रार्थीगण

10. भूरोकौर पत्नि स्व. महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी श्रीनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––तरतीबी रेस्पो0/अप्रार्थी

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 14.05.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़
प्रकरण सं. 160/2008 अनवानी लक्ष्मीनारायण आदि बनाम सुरजाराम आदि

उपस्थित :–

श्री लालचंद वर्मा अधिवक्ता अपीलांट

श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 9

निर्णय दिनांकः–21.05.2018

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत शर्त सं. 8 (2) राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 के तहत बाबत रास्ता मंजूर किये जाने प्रस्तुत किया। रेस्पो0 सं. 3 व 6 से 8 ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने मे सहमति दी। अपीलांट व रेस्पो0 सं. 10 ने संयुक्त रूप से जवाब प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना पत्र का विरोध किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

Web Copy - Not Official

अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए रेस्पो0 सं. 1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन आदेश कतई गलत व विधि विरूद्ध पारित किया गया जो खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व रेस्पो0 सं. 10 के द्वारा प्रस्तुत संयुक्त जवाबदेही मे किये गये सारभूत तथ्यों को अपने निर्णय मे विवेचन ही नही किया तथा रेस्पो0 सं. 1 व 2 के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के तथ्यो व दस्तावेजी साक्ष्य को अपने मे छिपाया हैं। किसी काश्तकार के लिये वैकल्पिक स्वीकृत रास्ता मौजूद होने की स्थिति मे वह नया रास्ता स्वीकृत नही करवा सकता। राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 की शर्त सं. 8 (2) मे हुये संशोधन के परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय को किसी व्यक्ति विशेष के लिये रास्ता स्वीकृत करने की अधिकारिता नही रही तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने शर्त 8(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को धारा 251ए आरटीए के अन्तर्गत परिवर्तित करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत डीएनजे 2014 (4) रेवेन्यू पृष्ठ सं. 389 मे प्रतिपादित सिद्धांतो की रोशनी मे खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय शर्त सं. 8 (2) मे हुये संशोधित प्रावधानो को अनदेखा किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण विधिक स्थिति को भी दृष्टिविगत किया है कि शर्त सं. 8 (2) के प्रावधान मौरूसी खातेदारी भूमि पर लागू नही है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत भूमि मौरूसी खातेदारी होने के संबंध मे अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका पर प.न. 107/276 मु.न. 10 कि.न. 5,6,15, 16, 25 मे स्वीकृत खाला मौका पर पक्का निर्मित हो जाने व पत्थर लाईन 107 पर मौघा स्वीकृत होने संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यो को नजरअंदाज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को भी नजरन्दाज किया है कि तहसील की ओर से प्रस्तुत नक्शा मे अपीलांट की

कृषि भूमि प.न. 107/276 मु.न. 10 कि.न. 25 नहर के पार दक्षिणी की ओर से स्थित है तथा इस किला नं. 25 मे कथित रूप से रास्ता स्वीकृत करने का औचित्य ही नही था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8(2) राज. उपनिवेशन सामान्य अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर चक 4 एसएनएम के प.न. 107/275 मु.न. 6 कि.न. 25 व प.न. 107/276 मु.न. 10 कि.न. 5, 6,15, 16, 25 मे 2–2 बिस्वा रास्ता किये जाने का निवेदन किया। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार रिपोर्ट मंगवाई जाकर बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र रेस्पो0/प्रार्थीगण स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश के जरिये रास्ता स्वीकृत किया गया है जो सही एवं विधिसम्मत है। रेस्पो0 सं. 1 को रास्ता की अत्यन्त आवश्यकता है तथा प्रश्नगत रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 को अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु रास्ता की परम आवश्यकता को देखते हुए प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है। अपीलांट बिना किसी आधार एवं कतई गलत तथ्यो के आधार पर अपील प्रस्तुत की जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष विद्वान की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इस न्यायालय के पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट का तर्क है कि ''अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण विधिक स्थिति को भी दृष्टिविगत किया है कि शर्त सं. 8 (2) के प्रावधान मौरूसी खातेदारी भूमि पर लागू नही है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत भूमि मौरूसी खातेदारी होने के संबंध मे अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका पर प.न. 107/276 मु.न. 10 कि.न. 5,6,15, 16, 25 मे स्वीकृत खाला मौका पर पक्का निर्मित हो जाने व पत्थर लाईन 107 पर मौघा स्वीकृत होने संबंधी

महत्वपूर्ण तथ्यो को नजरअंदाज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को भी नजरन्दाज किया है कि तहसील की ओर से प्रस्तुत नक्शा मे अपीलांट की कृषि भूमि प.न. 107/276 मु.न. 10 कि.न. 25 नहर के पार दक्षिणी की ओर से स्थित है तथा इस किला नं. 25 मे कथित रूप से रास्ता स्वीकृत करने का औचित्य ही नही था।'' जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश मे उल्लेखित किया है कि ''राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 199 की शर्त सं. 8(2) के अन्तर्गत मौरूसी भूमि मे रास्ता स्वीकृत करने की अधिकारिता नही, मान्य नही है उक्त नियमो के तहत रास्ता स्वीकृत करने की अधिकारिता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 8 (2) के प्रावधान मौरूसी खातेदारी भूमि पर लागू नही होने के उपरांत भी मौरूसी भूमि मे रास्ता स्वीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना उचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2018 निरस्त किया जाता है। रेस्पोडेंट चाहे तो रास्ता बाबत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं रिकार्ड दुरूस्ती बाबत धारा 136 एलआर एक्ट तहत कार्यवाही कर सकते है जिसके रेस्पोडेंट स्वतंत्र होगें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official